सं. ए-11033/4/2022-प्रशि.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 21 सितंबर, 2022

अधिसूचना

यह मंत्रालय राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई में आशुलिपिक ग्रेड-II के मौजूदा पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मसौदा भर्ती नियम तैयार और अनुमोदित किया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को लेने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणी, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती है। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियम/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नं. 410-डी, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में भेजी जा सकती हैं और सॉफ्ट कॉपी mishrark.77@gov.in पर भेजी जा सकती है।

(आर के मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23063749

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, मुंबई भर्ती नियम, 1959, सामान्य केंद्रीय सेवा (श्रेणी- III) और IV पदों के अधिक्रमण में जहां तक उनका संबंध **आशुलिपिक** के पद से है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई में **आशुलिपिक ग्रेड-II के** पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**-(i) इन नियमों को **आशुलिपिक ग्रेड-II,** राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई, भर्ती नियम, 2022 कहा जायेगा।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

(क): जिसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ख): जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक-ग्रेड-II	01* (एक) (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4 (चार) 25500 –81100/- रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक आयु तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञाप्ति तारीख को आधार मानकर किया जाएगा।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। 2. कौशल परीक्षा मानदंड: i. डिक्टेशन @80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का, ii. लिप्यन्तरण: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) (मैन्यूअल टाईपराइटर पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी)/ 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)

लागू नहीं होता	2 वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश पर जाने या पद एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए रिक्त रहने के कारण रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे पात्र अधिकारियों से भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सद्दश पदधारी है और कॉलम(7) में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं धारण करते है।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होगें 1. निदेशक,राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई – अध्यक्ष 2. निदेशक,राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई द्वारा नामित कोई समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य 3. अपर निदेशक, केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा, मुबंई अथवा निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुर्नवास एवं संस्थान, मुंबई द्वारा नामित कोई समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी – सदस्य 4. राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई का अ.जा./अनु.ज.जा.श्रेणी से संबंधित कोई समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता